

# उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ-226001 | फ़ोन : 2238846, 2236600 | फैक्स : 0522-2237800



फैक्स 854112

दिनांक 27/11/12

सेवा में,

प्रधानाचार्य,

नोएडा इन्टरनेशनल यूनीवर्सिटी, स्कूल ऑफ नर्सिंग,  
प्लॉट नं0-1, सेक्टर-17 ए, यमुना एक्सप्रेस हाईवे,  
गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश।

विषय- नोएडा इन्टरनेशनल यूनीवर्सिटी, स्कूल ऑफ नर्सिंग, प्लॉट नं0-1, सेक्टर-17 ए, यमुना एक्सप्रेस हाईवे, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश में सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण केन्द्र की मान्यता/सम्बद्धता के संबंध में।

महोदय,

मुझे सूचित करना है कि उत्तर प्रदेश मेडिकल फैकल्टी के निरीक्षकों की निरीक्षण रिपोर्ट की संस्तुति एवं उत्तर प्रदेश शासन विकास शिक्षा अनुमान-2 के शासनादेश संख्या-347 / 71-2-10-एन-8 / 2011 दिनांक 28.01.2011 तथा भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली के पत्र संख्या 02 / अक्टूबर / 2012 दिनांक 30.10.2012 के आधार पर आपके प्रशिक्षण केन्द्र में 40 प्रशिक्षकों को जनरल नर्सिंग एवं मिडवीफरी प्रशिक्षण में प्रतिवर्ष प्रवेश हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशिक्षण प्रारम्भ करने के लिए मान्यता/सम्बद्धता प्रदान की जाती है। अगले वर्ष नये सत्र में प्रवेश लेने से पूर्व इस कार्यालय की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है।

- प्रवेश क्षमता 40 अन्यर्थी प्रतिवर्ष रखी जायेगी एवं जी0एन0एम0 प्रशिक्षण प्रारम्भ करने की तिथि प्रतिवर्ष 1 सितम्बर होगी। जैसा कि भारतीय उपचर्या परिषद के नियमों में निर्धारित है। प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इन्टरमीडिएट उत्तीर्ण होनी चाहिए एवं आयु प्रवेश वर्ष में 1 सितम्बर को 17 से 35 वर्ष होनी चाहिए। प्रतिवर्ष एक बैच ही लिया जा सकता है। इंडियन नर्सिंग कॉमिटी, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित भर्ती क्षमता से अधिक प्रवेश किसी भी दशा में न लिया जाये, अन्यथा उनकी परीक्षा इस कार्यालय द्वारा कराया जाना संभव नहीं होगा।
- आपके प्रशिक्षण केन्द्र को उत्तर प्रदेश मेडिकल फैकल्टी, राज्य सरकार एवं भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली द्वारा प्रशिक्षण में प्रवेश के संबंध में समय-समय पर जारी किये गये समस्त आदेशों/निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
- समय-समय पर आपके प्रशिक्षण केन्द्र का निरीक्षण कराया जायेगा और आपके प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा किसी भी निर्देश/शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में आपके जनरल नर्सिंग एवं मिडवीफरी प्रशिक्षण केन्द्र की मान्यता/सम्बद्धता समाप्त करने पर विचार किया जा सकता है।
- किसी भी दशा में निर्धारित भर्ती क्षमता से अधिक अन्यर्थी भर्ती नहीं किये जायेंगे।
- चयन हेतु समाधार-पत्रों में विज्ञापन जारी करने के पूर्व विज्ञापन के प्रारूप को इस कार्यालय

4. चयन हेतु समाचार-पत्रों में विज्ञापन जारी करने के पूर्व विज्ञापन के प्रारूप को इस कार्यालय का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जाना सुनिश्चित करें तथा समाचार पत्र में प्रकाशित होने के पश्चात समाचार पत्र की प्रति शीघ्र कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
  5. हेत्य वर्कर (महिला) प्रशिक्षण में प्रवेश उ0प्र0 के निवासियों का ही होगा। उ0प्र0 के बाहर के अभ्यर्थियों का हेत्य वर्कर (महिला) प्रशिक्षण में प्रवेश किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
  6. हेत्य वर्कर (महिला) प्रशिक्षण केन्द्र में कार्यरत प्रशिक्षित नर्सिंग ट्यूटर्स के नामों की सूची (संलग्न प्रोफार्मा पर) शैक्षिक योग्यता, अनुभव की अवधि तथा प्रत्येक द्वारा पढ़ाये जाने वाले विषयों का उल्लेख सहित प्रशिक्षण के लिए छात्राओं का चयन करने से पूर्व इस कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें।
  7. हेत्य वर्कर (महिला) प्रशिक्षण प्रवेश की सूची प्रकाशित करने के पूर्व चयनित छात्राओं के शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्रों की प्रतियाँ भेजकर चयन सूची का अनुमोदन फैकल्टी से प्राप्त करने के पश्चात ही प्रशिक्षण में प्रवेश लिया जायेगा। चयन सूची में छात्र का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि एवं पता स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिये।
  8. हेत्य वर्कर (महिला) प्रशिक्षण की दो परीक्षायें होंगी प्रथम परीक्षा एक वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् तथा द्वितीय वर्ष परीक्षा प्रशिक्षण अवधि 02 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् की कराई जायेगी।
  9. प्रशिक्षण हेतु प्रवेश शुल्क ₹0 2,000/- प्रवेश के समय केवल एक बार प्रशिक्षण शुल्क के रूप में ₹0 2,000/- प्रतिमाह, पूरे प्रशिक्षण अवधि (दो वर्ष) तक लिया जा सकता है।
  10. इष्टिष्ठयन नर्सिंग कार्डिनल के पत्र संख्या 02/Jun/2013 दिनांक 06.06.2013 के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। अभ्यर्थियों से किसी प्रकार चाप्ड इत्यादि नहीं भरवाया जायेगा।
  11. किसी प्रकार की जानकारी के लिये इस कार्यालय की वेबसाइट [www.upsmfac.org](http://www.upsmfac.org) पर देखा जा सकता है। प्रवेशित छात्र/छात्राओं का आनलाइन इनरोलमेन्ट प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह की 31 तारीख तक अवश्य कर दिया जाये।
- प्रशिक्षण में प्रवेश के पूर्व प्रतिवर्ष संबद्धता शुल्क रूपया 20,000/- (₹.1,000/- प्रति छात्र की दर से) इस कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। चयन प्रक्रिया के संबंध में वांछित किसी भी जानकारी हेतु प्रधानाचार्य, स्कूल ऑफ नर्सिंग इस कार्यालय में आवश्यकतानुसार सम्पर्क कर सकते/सकती हैं।

मवदीय,



सचिव,  
उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी